



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 134 राँची, गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

12 मार्च, 2025

संख्या-16/नि०-01/2025-1135--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक एवं पुलिस अधिनियम 1861 (अधिनियम संख्या-V, 1861) की धारा 46 की उप-धारा (3) कारा अधिनियम-1894 की धारा-59, झारखण्ड गृह रक्षक अधिनियम-2005 की धारा-12 एवं झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 2000 की धारा-89 एवं 90 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड राज्य के पुलिस, झारखण्ड कारा सेवा के कक्षपाल, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के उत्पाद सिपाही एवं झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता एवं संयुक्त रूप से भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ:-

(क) यह नियमावली "झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025" कहलाएगी।

(ख) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(ग) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ :-

- (क) 'राज्य' के अभिप्राय है:- झारखण्ड राज्य।
 (ख) सरकार से अभिप्रेत है:- झारखण्ड सरकार।
 (ग) 'विभाग' से अभिप्रेत है:- संबंधित पदों से संबंधित नियंत्री विभाग।
 (घ) 'आयोग' अभिप्रेत है: झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।
 (ङ.) 'रिक्तियाँ' से अभिप्रेत है:- प्रत्येक पंचाग (कैलेण्डर) वर्ष के 01 जनवरी के आधार पर आरक्षण कोटिवार उपलब्ध रिक्ति।
 (च) 'नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है:- इस नियमावली के अधीन वर्णित पदों यथा झारखण्ड पुलिस के पुलिस हेतु संबंधित जिला/ईकाई के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक मुख्यालय एवं उत्पाद सिपाही हेतु आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड, राँची होंगे।
 (छ) 'चयन सूची' से अभिप्रेत है:- ऐसे सफल उम्मीदवारों की चयन सूची जिसे झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेधा के अनुसार तैयार किया गया हो।
 (ज) 'खिलाड़ी' का अभिप्राय:- राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त खेलकूद में भाग लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनके खेल को सीधी नियुक्ति में कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

3. सीधी नियुक्ति के पद:-

(क) इस नियमावली के अधीन विभिन्न विभागों के अधीन सीधी नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले निम्नांकित पद शामिल होंगे। इन पदों के नियंत्री विभाग द्वारा गठित अलग-अलग सेवा/संवर्ग की सेवाशर्त नियामवली के आलोक में पद की प्रकृति, सेवाशर्त एवं कार्यदायित्व भिन्न होने के कारण पदों का वेतनमान वही होगा, जो संबंधित सेवाशर्त नियामवली में प्रावधानित है।

क्र०	पदनाम	वेतनमान / समूह	नियंत्री विभाग
1	पुलिस (जिला/ईकाई)/पुलिस (झारखण्ड सशस्त्र पुलिस)/पुलिस (राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल)	5200-20200/- ग्रेड पे-2000/समूह 'ग' 7th PRC/L-3	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
2	कक्षपाल	5200-20200/- ग्रेड पे-1900/समूह 'ग' 7th PRC/L-2	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
3	सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी)	5200-20200/- ग्रेड पे-1900/समूह 'ग' 7th PRC/L-2	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
4	उत्पाद सिपाही	5200-20200/- ग्रेड पे-1900/ समूह 'ग' 7th PRC/L-2	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

(ख) पद की प्रकृति / संवर्ग:-

(i) **पुलिस:-** झारखण्ड पुलिस के अधीन राज्य के विभिन्न जिलों में स्वीकृत पुलिस के पद **जिला स्तरीय पद** तथा झा०स०पु० (जैप) / एस०आई०एस०एफ० के अधीन पुलिस के पद **राज्य स्तरीय कोटि** के होंगे तथा इसमें क्रमशः जिला स्तरीय रोस्टर तथा राज्य स्तरीय रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा।

(ii) **कक्षपाल:-** कक्षपाल का पद राज्यस्तरीय पद होगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

(iii) सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी):- सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) का पद राज्यस्तरीय पद होगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

(iv) उत्पाद सिपाही:- उत्पाद सिपाही का पद राज्यस्तरीय पद होगा तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।

(ग) सेवाशर्त:- उपरोक्त पदों की सेवाशर्त संबंधित विभागों द्वारा पूर्व से अधिसूचित निम्न नियमावली/ नियम / हस्तक के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(i) पुलिस:- इस पद के संदर्भ में सेवाशर्तों हेतु पूर्व से अधिसूचित झारखण्ड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (समय-समय पर यथासंशोधित) / पुलिस हस्तक/समय-समय पर सेवाशर्त के संदर्भ में निर्गत अनुदेश/आदेश/संकल्प इत्यादि के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

(ii) कक्षपाल:- इस पद के संदर्भ में अन्य सेवाशर्तों हेतु पूर्व से अधिसूचित झारखण्ड कक्षपाल संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियामवली, 2013 (समय-समय पर यथासंशोधित) / कारा हस्तक/समय-समय पर सेवाशर्त के संदर्भ में निर्गत अनुदेश/आदेश/संकल्प इत्यादि के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

(iii) सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी):- इस पद के संदर्भ में सेवाशर्तों हेतु पूर्व से अधिसूचित झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) / हस्तक/समय-समय पर सेवाशर्त के संदर्भ में निर्गत अनुदेश/आदेश/संकल्प इत्यादि के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

(iv) उत्पाद सिपाही:- इस पद के संदर्भ में सेवाशर्तों हेतु पूर्व से अधिसूचित झारखण्ड उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तों) सेवा नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान / समय-समय पर सेवाशर्त के संदर्भ में निर्गत अनुदेश/आदेश/संकल्प इत्यादि के सुसंगत प्रावधान लागू होंगे।

4. भर्ती का श्रोत :- नियम-3 (क) में उल्लेखित पदों पर भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी नियुक्ति द्वारा की जा सकेगी।

5. आरक्षण/अधिमानता/छूट:-

(क) पुलिस

(i) आरक्षित एवं अनारक्षित कोटि का 33% का पद महिलाओं के लिए कर्णांकित रहेगा।

(ii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/आदेश/अधिनियम व प्रावधान के तहत खिलाड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।

(iii) गृह रक्षक:- गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए सम्पूर्ण रिक्ति का 50 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेगा। यह लाभ केवल झारखण्ड राज्य से पंजीकृत गृहरक्षक के प्रशिक्षित जवानों, जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात् तीन (03) वर्ष की अवधि एवं कम से कम छः (06) माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो. को ही मिलेगा। गृहरक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृहरक्षक की शेष रिक्तियाँ गैर गृहरक्षक उम्मीदवारों से भरी जायेगी। नियम-07 में अंकित कोटिवार अधिकतम उम्रसीमा में सभी कोटि के गृहरक्षकों को पाँच (05) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। शारीरिक मापदण्ड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(iv) झारखण्ड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्ति का 10 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षित श्रेणी में सहायक पुलिस के उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियों गैर सहायक पुलिस उम्मीदवारों से भरी जा सकेंगी। नियम-07 में अंकित कोटिवार अधिकतम उम्रसीमा में सभी कोटि के सहायक पुलिसकर्मियों को 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। शारीरिक मापदण्ड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(v) मेधा सूची के गठन में झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को पुलिस के पद पर नियुक्ति में निम्न प्रकार 04-10 अंक तक की अधिमानता (weightage) दी जायेगी। यह अधिमानता लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को देय होगा:-

Class obtained in Degree of Diploma of the Raksha Shakti University	Additional marks to be given
Distinction	10
First Class	08
Second Class	06
Pass Class	04

(ख) कक्षपाल

(i) भर्ती में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों / रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

(ii) गृह रक्षक- गृह रक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए कुल रिक्ति के 25 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेंगे। यह लाभ झारखण्ड राज्य से पंजीकृत गृहरक्षक के प्रशिक्षित जवानों, जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि एवं कम-से-कम छः माह की सक्रिय सेवा (Active Duty) पूरी कर ली हो, को ही मिलेगा। गृहरक्षक के उम्मीदवारों उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृहरक्षक की शेष रिक्तियाँ आरक्षित/अनारक्षित कोटि के वैसे उम्मीदवारों से भरी जायेंगी जो सुरक्षित पदों की श्रेणी के नहीं हों। नियम-07 में अंकित कोटिवार अधिकतम उम्रसीमा में सभी कोटि के गृहरक्षकों को पाँच (05) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी।

(iii) भूतपूर्व सैनिक झारखण्ड राज्य के सैनिक कल्याण निदेशालय से पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल रिक्तियों के 10 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक की शेष रिक्तियाँ आरक्षित/अनारक्षित कोटि के वैसे उम्मीदवारों से भी जायेंगी जो सुरक्षित पदों की श्रेणी के नहीं है।

(iv) झारखण्ड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्ति का 10 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षित श्रेणी में सहायक पुलिस के उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियाँ गैर सहायक पुलिस उम्मीदवारों से भरी जा सकेंगी। नियम-07 में अंकित कोटिवार अधिकतम उम्रसीमा में सभी कोटि के सहायक पुलिसकर्मियों को 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। शारीरिक मापदण्ड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(v) उक्त सुरक्षित पद क्षेत्रिज श्रेणी के होंगे अर्थात् अनारक्षित एवं आरक्षित पदों के विरुद्ध मेधा सूची निर्माण करते समय सुरक्षित पदों के निर्धारित प्रतिशत की सीमा तक उक्त सुरक्षित श्रेणी के आवेदकों (गृह रक्षक/भूतपूर्व सैनिक) से भरे जायेंगे।

उपर्युक्त सुरक्षित पदों में भी आरक्षण के सामान्य नियम लागू होंगे। जिन रिक्तियों की भर्ती हेतु होमगार्ड तथा भूतपूर्व सैनिक नहीं उपलब्ध होंगे, उन पदों पर गैर सुरक्षित कोटि के उम्मीदवारों से नियुक्ति की जायेगी एवं उसमें भी आरक्षण के सामान्य नियम ही लागू होंगे।

(ग) सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) :-

(i) भर्ती में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों / रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

(ii) 50 प्रतिशत रिक्ति पंजीकृत ऐसे गृह रक्षकों (स्वयंसेवक) से भरी जायेगी जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि एवं कम से कम छः माह का सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो।

(iii) झारखण्ड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्ति का 10 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षित श्रेणी में सहायक पुलिस के उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियाँ गैर सहायक पुलिस उम्मीदवारों से भरी जा सकेंगी। नियम-07 में अंकित कोटिवार अधिकतम उम्रसीमा में सभी कोटि के सहायक पुलिसकर्मियों को 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। शारीरिक मापदण्ड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(घ) उत्पाद सिपाही :-

(i) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में तत्समय प्रवृत्त आरक्षण एवं रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

(ii) झारखण्ड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को रिक्ति का 10 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षित श्रेणी में सहायक पुलिस के उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियाँ गैर सहायक पुलिस उम्मीदवारों से भरी जा सकेंगी। नियम-07 में अंकित कोटिवार अधिकतम उम्रसीमा में सभी कोटि के सहायक पुलिसकर्मियों को 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य होगी। शारीरिक मापदण्ड में किसी प्रकार की छूट अनुमान्य नहीं होगी।

6. राष्ट्रीयता एवं अधिवास:- कोई भी व्यक्ति सेवा/ संवर्ग में तबतक नियुक्त नहीं किया जाएगा जबतक कि वह-

(क) भारत संघ का नागरिक न हो।

(ख) सच्चरित न हो।

7. उम्र सीमा:- सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा निम्न रूप से निर्धारित रहेगा।

क्र०	कोटि	न्यूनतम	अधिकतम
1	सामान्य (पुरुष) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) (पुरुष)	18	25 वर्ष
2	पिछड़ा वर्ग (अनु०- II) / अ० पिछड़ा वर्ग (अनु०- I) (पुरुष)	18	27 वर्ष
3	सामान्य/पिछड़ा वर्ग (अनु०-II) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनु०- 1) (महिला)	18	28 वर्ष
4	अनु० जाति/अनु०जनजाति (पुरुष एवं महिला)	18	30 वर्ष

उम्र की गणना अध्याचना वर्ष के 01ली अगस्त के आधार पर की जाएगी।

नोट:- नियम-5 (क) (iii) एवं (iv), 5(ख) (ii), (iii) एवं (iv) 5 (ग) (iii) एवं 5(घ) (ii) में वर्णित नियम के अनुसार उक्त उम्र सीमा में छूट लागू होगा।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:- केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

9. शारीरिक मापदण्ड:- नियम-3 (क) में वर्णित पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक माप निम्नरूप से निर्धारित रहेगी।

कोटि	उँचाई	सीना (फूलाकर)
सामान्य / पिछड़ा वर्ग/अ०पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	160 से०मी०	81 से०मी०
अनु० जाति/जनजाति	155 से०मी०	79 से०मी०
महिला (सभी कोटि)	148 से०मी०	लागू नहीं

नोट-1:- शारीरिक रूप से अशक्त तथा विकृत अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

10. शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

(क) पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत नियम-3 (क) में वर्णित पदों का शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार दौड़ आयोजित की जायेगी:-

	दूरी	समय
1. पुरुषों के लिए	01 मील (1600 मीटर)	06 मिनट
2. महिला के लिए	01 मील (1600 मीटर)	10 मिनट

(ख) दौड़ के लिये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेन्टीफिकेशन चिप टाइमिंग टेक्नॉलजी (Radio Frequency Identification (RFID) Chip Timing Technology) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति

पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

(ग) उँचाई एवं सीना की माप के लिए स्टैंडर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विथ डिस्प्ले मॉनिटर्स (Standard Digital Height Weight Device with Digital Display Monitors) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी उँचाई एवं सीना की माप यथा उपलब्ध अन्य मानक उपकरणों से की जा सकेगी।

(घ) आवेदन की पहचान के लिए बायोमेट्रीक डिवाइसेस (Biometric Devices) का प्रयोग किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में आवेदक की पहचान उसके आवेदन में दिये गये पहचान चिन्ह से मिलान कर की जायेगी।

(ड.) सी०सी०टी०भी० टेक्नोलॉजी (CCTV Technology) का प्रयोग कर सभी संचालन का विडियोग्राफी किया जायेगा, जो इसकी उपलब्धता/आपूर्ति पर निर्भर करेगा। यदि इसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा या इसकी आपूर्ति में विलंब होगी या इसके आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी सभी संचालन प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

नोट-1. शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यह परीक्षा क्वालिफाईंग (Qualifying) प्राकृति का होगा।

2. शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा हेतु प्रपत्र का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के मंतव्य से किया जा सकेगा।

11. लिखित परीक्षा:-

(क) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

(ख) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी की सूची लिखित परीक्षा हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जायेगी। जिसे झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक "झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (मैट्रिक/10वीं कक्षा) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर यथासंशोधित)" में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगा।"

12. चिकित्सकीय परीक्षण:-

(क) लिखित परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष मेधा-सह-विकल्प के आधार पर कोटिवार आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अल्पसूचीबद्ध किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया में लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को तत्संबंधी मेधासूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

(खा) मेधा-सह-विकल्प सूची के अन्तर्गत विज्ञापित रिक्ति के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों को कोटिवार आरक्षण के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(ग) प्रथम चरण के उक्त चिकित्सीय परीक्षण के उपरांत विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा कोटिवार आरक्षण के अनुसार मेधाक्रम में नीचे आसीन अभ्यर्थियों को अगले चरण के चिकित्सीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(घ) शारीरिक मापदण्ड/दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का चिकित्सकीय परीक्षण असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद के माध्यम से आयोजित की जाएगी तथा इसमें सफल होना आवश्यक होगा। चिकित्सकीय परीक्षण के तहत चिकित्सा पर्षद द्वारा निम्न चिकित्सकीय दोषों का परीक्षण किया जायेगा।

"मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टि दोष, Colour Blindness/Night Blindness, Hearing, Stammering, Bericocele/Hydrocele/Piles तथा Any Communicable Physical/Mental Disease."

उक्त के अलावे शारीरिक मापदण्ड अंतर्गत अभ्यर्थियों की उँचाई की माप भी चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा।

चिकित्सकीय परीक्षण में उपर्युक्त वर्णित दोष पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

उक्त चिकित्सा पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए **"Apex Medical Board"** अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद, झारखण्ड, राँची होगा। चिकित्सकीय परीक्षण के संबंध में **"Apex Medical Board"** का निर्णय अंतिम होगा।

नोट-चिकित्सकीय परीक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र का निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अपने स्तर से आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

13. परीक्षा शुल्क :-

(क) अभ्यर्थियों को, जैसा कि आयोग विहित करे, निर्धारित परीक्षा शुल्क अदा करना होगा।

(ख) शुल्क भुगतान का तरीका-जैसा कि आयोग अपने विज्ञापन में विहित करे।

14. रिक्तियों का अवधारण एवं आयोग को इसकी सूचना:- संबंधित पदों के नियुक्ति प्राधिकार द्वारा रिक्तियों की समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष के 01ली जनवरी के स्थिति के आधार पर सीधी नियुक्ति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की वास्तविक रिक्तियों की गणना की जाएगी तथा आरक्षण कोटिवार विहित प्रपत्र में अध्याचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा।

15. आयोग द्वारा रिक्तियों की घोषणा एवं प्रकाशन:- नियामवली में वर्णित पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या एवं पदों को आयोग यथोचित रीति से, विज्ञापन का प्रकाशन कर, जैसा की वे उपयुक्त समझे, निष्पादित करेगा और सेवा में भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। विज्ञापन का प्रकाशन, आवेदन पत्रों की जाँच, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन का प्रपत्र, प्रश्न पत्र का चयन, परीक्षा का स्वरूप एवं प्रक्रिया तथा संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच, आवेदन पत्र प्राप्त एवं समर्पित करने की रीति का निर्धारण तथा परीक्षाफल का प्रकाशन इत्यादि व्यवस्था झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निर्धारित की जाएगी।

16. चयन पर्षद:- (क) नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चयन पर्षद का गठन निम्न स्वरूप के अनुसार होगा:-

- (i) चयन पर्षद में कम से कम दो पुलिस अधीक्षक / समादेश स्तर के पदाधिकारी होंगे।
- (ii) एक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि--पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी।
- (iii) गृह रक्षा वाहिनी के प्रतिनिधि:- जिला समादेश पंक्ति के पदाधिकारी।
- (iv) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रतिनिधि: उत्पाद अधीक्षक / सहायक आयुक्त उत्पाद/उपायुक्त उत्पाद स्तर के पदाधिकारी।
- (v) कारा निरीक्षणालय के प्रतिनिधि: कारा अधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी।
- (vi) जिला कल्याण पदाधिकारी: जो आरक्षण से संबंधित नियमों/ निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
- (vii) वरीयतम पुलिस अधीक्षक / समादेश चयन पर्षद के अध्यक्ष होंगे।

अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न चयन पर्वों का गठन महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से किया जायेगा।

17. नियुक्ति प्रक्रिया :-

(i) नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सीधी भर्ती के लिए परीक्षा के क्रमशः निम्नलिखित चरण होंगे:-

(क) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा।

(ख) लिखित परीक्षा।

(ग) चिकित्सकीय परीक्षा।

(ii) रिक्तियों के अनुरूप विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप, विज्ञापन का प्रकाशन तथा आवेदन पत्रों का संकलन झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से किया जायेगा।

(iii) नियम-3 (क) में वर्णित पदों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जायेगी। संबंधित विभागों के द्वारा रिक्त पदों की अध्याचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जायेगी। प्राप्त अध्याचना के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।

(iv) संयुक्त नियुक्ति नियमावली से आच्छादित सभी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समान होने के अवस्था में वांछित शैक्षणिक योग्यताधारी प्रत्येक अभ्यर्थियों को विज्ञापित विभिन्न पदों का विकल्प, अधिमानता क्रम में चयन करने की सुविधा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रदान की जायेगी।

(v) जिला बल के पुलिस का पद जिला स्तरीय है, अतः अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित पद का विकल्प चयन करने की स्थिति में विभिन्न जिलों (उपलब्ध जिलावार रिक्ति के आधार पर) का विकल्प, अधिमानता क्रम में चयन करने हेतु Drop Down Menu अनिवार्य रूप से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) पुलिस के विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थी किसी एक जिला/वाहिनी का ही विकल्प दे सकेंगे।

(vi) इस प्रकार विज्ञापित विभिन्न पदों के विकल्प का अधिमानता क्रम में चयन के साथ-साथ शेष अन्य विज्ञापित शक्तों (यथा आरक्षण (उदग्र / क्षैतिज) / आवासीय/खेल-कूद इत्यादि) का उल्लेख आवेदन प्रपत्र में करते हुए अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

(vii) इस प्रकार आवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा हेतु प्राप्त वैध आवेदनों का डाटा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसमें घटनाक्रम का बॉक्स बना रहेगा।

(ix) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा हेतु तिथि एवं चयन केन्द्र का निर्धारण, प्रत्येक जिला में प्रतिदिन अधिकतम कितने अभ्यर्थियों को निर्धारित चयन केन्द्र एवं तिथि पर शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा इसका निर्धारण झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के परामर्श से किया जायेगा। शारीरिक मापदण्ड/दक्षता परीक्षा के संबंध में तिथि एवं चयन केन्द्र की सूचना सभी प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में भी की जा सकेगी।

(x) चयन पर्वद्वारा शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में चयनित योग्य अभ्यर्थियों की सूची झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को लिखित परीक्षा हेतु प्रदान की जायेगी तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची भी आयोग को दी जायेगी, जिसे आयोग द्वारा संबंधित के सूचना हेतु वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा सकेगा।

(xi) शारीरिक मापदण्ड / दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का डाटा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् आयोग द्वारा नियम-11 (ग) में वर्णित लिखित परीक्षा के स्वरूप एवं पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

(xii) लिखित परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष मेधा-सह-विकल्प के आधार पर कोटिवार आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षण हेतु अल्पसूचीबद्ध किया जायेगा। उक्त

प्रक्रिया में लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को तत्संबंधी मेधासूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

(xiii) मेधा-सह-विकल्प सूची के अन्तर्गत विज्ञापित रिक्ति के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों को कोटिवार आरक्षण के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(xiv) प्रथम चरण के उक्त चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त विज्ञापित कुल रिक्ति के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा कोटिवार आरक्षण के अनुसार मेधाक्रम में नीचे आसीन अभ्यर्थियों को अगले चरण के चिकित्सीय परीक्षण हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

(xiv) आयोग द्वारा इस प्रकार चिकित्सीय परीक्षण में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा-सह-विकल्प के आधार पर पदवार नियुक्ति हेतु अनुशंसा उनकी पात्रता/अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों के जाँच के पश्चात अधियाची विभाग को भेजने की कार्यवाई की जायेगी।

(xv) उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा के सफल संचालन हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को निर्धारित करने हेतु सक्षम होगा।

18. मेधा सूची का गठन :-

(i) भर्ती परीक्षा पूर्ण होने पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेधा-सह-विकल्प के आधार पर पदवार नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया जाएगा। न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे एवं उनको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जायेगा।

(iv) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी अर्थात् जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें मेधासूची में अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में उपर रखा जायेगा। यदि लिखित परीक्षा का प्राप्तांक, जन्म तिथि तथा मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक भी समान हो तो वैसी स्थिति में शारीरिक जाँच में जिस अभ्यर्थी की उँचाई अधिक पाई गई होगी उन्हें मेधा सूची में उपर स्थान मिलेगा।

19. परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे की वे विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता संबंधी सभी शर्तें पूरी करते हैं। यदि किसी भी समय लिखित परीक्षा, नियुक्ति, परिवीक्षा एवं सेवा काल के किसी भी प्रक्रम पर जाँच करने पर यह पाया जाएगा की वे पात्रता के किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं अथवा इसकी सूचना गलत दी गई है या कोई सूचना छिपाई गई है तो उनकी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी।

20. प्रतीक्षा सूची: आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन एवं मेधासूची के आलोक में कोई प्रतीक्षा

सूची नहीं बनाई जाएगी। आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवारों की अनुशंसा की जाएगी जितने के लिए अधियाचना प्राप्त हुई हो। आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा समय सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जाएगी।

21. प्रकीर्ण :-

(i) इस नियमावली में जिन विषयों या बातों का समावेश / प्रावधान नहीं हो सका है, उसके लिए संबंधित पद विशेष हेतु राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/सेवा संवर्ग नियमावली / संकल्प/अनुदेश तथा संबंधित हस्तक में वर्णित प्रावधान लागू होंगे।

(ii) नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों के संबंध में पूर्व से अधिसूचित सेवा नियमावली पर इस नियमावली का अध्यारोही प्रभाव से लागू होगा।

(iii) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र/अधिसूचना/नियमावली/अनुदेश/संबंधित हस्तक नियम के प्रासंगिक / संगत नियम इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।

22. निर्वचन:- इस नियमावली के प्रावधानों की व्याख्या के लिए विभाग सक्षम होगा और उसकी व्याख्या अंतिम होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
